संख्या : 88/2016/1366/छप्पन-2016-81/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 09 नवम्बर, 2016

विषयः जनपद इलाहाबाद स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-393-95/ए0एफ-108-12/2016 दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ में योजित पी0आई0एल0 संख्या- 9552/2016 अजय कुमार मिश्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.9.2016 में इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रूपये 1,71,01,65,906/- (रूपये एक अरब इकहत्तर करोड़ एक लाख पैंसठ हजार नौ सौ छः मात्र) जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पक्ष में अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- मा0 न्यायालय के आदेशों के समादर में आपके द्वारा जनपद इलाहाबाद स्थित भारतीय वायुसेवा के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय के लिए रूपये रू0 50,00,00,000.00 (रूपये पचास करोड़ मात्र) जिलाधिकारी, इलाहाबाद के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3- इलाहाबाद सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु 30.3910 हे0 भूमि चिन्हित है। इस भूमि के क्रय हेतु शासनादेश संख्या- 21/2016/1817/छप्पन-2015-81/2013, दिनांक 25.2.2016 द्वारा रूपये 2,89,21,65,906/- (रूपये दो अरब नवासी करोड़ इक्कीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ छः मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस प्रशासकीय अनुमोदन के सापेक्ष रूपये 1,18,20,69,896/- (रूपये एक अरब अट्ठारह करोड़ बीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ छियानबे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रशासकीय रूप से अनुमोदित धनराशि में से अवमुक्त धनराशि को घटाने के उपरान्त रूपये 1,71,00,96,010-00 (रूपये एक अरब इकहत्तर करोड़ छियानबे हजार दस मात्र) अवमुक्ति हेतु अवशेष है।

5- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल मा0 न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद में सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 50,00,00,000.00 (रूपये पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6- शासनादेश संख्या-1412(1)/छप्पन-2013-81/13, दिनांक 09.01.2014 में इंगित नियम/शर्तें यथावत् रहेंगी। उक्त स्वीकृत धनराशि रूपये 50,00,00,000.00 (रूपये पचास करोड़ मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, इलाहाबाद के निवर्तन पर रखा जायेगा और यथावश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्याः 88/2016/1366(1)/छप्पन-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
(3) आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
(4) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद/लखनऊ।
(6) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, इलाहाबाद।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-7
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in